जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
82/2016
A3

प्रकरण सं0 82/2015 अनवानी श्री राणा सिंह पुत्र श्री जगर सिंह जाति मजहबीसिख निवासी विकेखेड़ा तहसील मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब) हाल आबाद चक मोहलां तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपजिलाधीश एवं पुनर्वास अधिकारी, श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.11.2016

प्रार्थी श्री राणा सिंह के अभिभाषक श्री ओमप्रकाश बतरा उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी श्री राणा सिंह के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा उपजिलाधीश एवं पुर्नवास अधिकारी, श्रीकरनपुर के न्यायालय में लंबित रिमाण्ड प्रकरण संख्या 259/89 अनवानी बलवीर कौर बनाम मिठूसिंह आदि तथा पुनर्वास प्रकरण अनवानी सरकार बनाम साधू सिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अब चूंकि प्रार्थी इस मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर कोई कार्यवाही नही चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करता है। इसलिए मुकदमा मुन्तकिली का यह प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

चूंकि प्रार्थी मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर अब कोई कार्यवाही नही चाहता है अर्थात नॉट प्रैस किया है। इसलिए प्रार्थी का यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपजिलाधीश एवं पुनर्वास अधिकारी, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1969
19/11/16

आदेश आज दिनांक 15.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर